कार्यालय जिला न्यायाधीश, देहरादून के **माह 03/2015 से 11/2018** तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो **श्री अजय कुमार श्रीवास्तव, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री रविन्द्र कुमार जयंत, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 03-12-2018 से 07-12-2018 तक श्री प्रेम चन्द्र, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी** के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा **श्री अजय त्यागी सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी** द्वारा **दिनांक 20-03-15 से 30-03-15 तक द्वारा श्री पुष्कर, लेखापरीक्षा अधिकारी** के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें **02/2004 से 02/2015 तक** के लेखा अभिलेखों की जांच की गई थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में **माह 03/2015 से 11/2018** तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः गढवाल परिक्षेत्र, गढवाल

(अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः(

(धनराशि लाख में)

वर्ष	**प्रारम्भिक अवशेष**		**स्थापना**		**गैर स्थापना**		**आधिक्य (+)**	**बचत (-)**
	स्थापना	**गैर स्थापना**	**आवंटन**	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**		
2015-16	-	-	1875.00	1399.24	2193.77	2193.19	–	476.39
2016-17	-	-	1965.80	1487.23	125.52	113.36	–	490.73
2017-18	-	-	1785.86	1727.94	132.95	131.45	–	59.42
2018-19 (10/18) तक			1726.70	1528.52	137.59	96.59	–	-

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

इकाई को बजट आवंटन (केन्द्र एवं राज्य सरकार) द्वारा किया जाता है। स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई **कार्यालय जि□ला न्यायाधीश, देहरादून** को श्रेणी (सी) की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

जिला न्यायाधीश

↓

अपर जिला न्यायाधीश

↓

मुख्य न्यायिक मजि□स्ट्रेट/सिविल जज/अपर न्यायिक /अपर सिविल जज

↓

न्यायिक मजि□स्ट्रेट/सिविल जज/सिविल जज

↓

मुख्य प्रशासिनक अधिकारी

↓

आशुलिपिक

↓

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

↓

प्रशासनिक अधिकारी

↓

प्रधान सहायक

↓

वरिष्ठ सहायक

↓

कनिष्क सहायक

↓

वाहन चालक

↓

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **उत्तराखण्ड गढवाल परिक्षेत्र** एवं अनुपालन लेखापरीक्षा को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं प्रतिवेदन कार्यालय की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। विस्तृत जांच हेतु **माह 03/15, 03/16, 03/17 एवं 05/18** को चयनित किया गया। उपरोक्त माहों का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन व्यय की अधिकता के आधार पर किया गया।

लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 एवं 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गई है।

भाग-II 'अ'

---------------- शून्य ------------------

भाग दो ब

प्रस्तरः01- बिलों से रू 81597 आयकर की कटौती न किया जाना।

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194 सी के अन्तर्गत रू 30000 से अधिक की धनराशि के भुगतान करने पर 2 प्रतिशत की दर से आयकर की कटौती किये जाने का प्रावधान है।

कार्यालय के बिल बाउचर्स की जांच में पाया गया है कि वित्तीय मार्च 2015 से मार्च 2018 तक कुल रू 40.36 लाख की सामग्री के बिलों का भुगतान संलग्नक में 3 व्यक्ति फर्मों को था। लेकिन उक्त बिलों से 2 प्रतिशत की दर से रू 81597 आयकर की कटौती नहीं की गई। जिसके कारण राजस्व की हानि हुई। (संलग्नक-1 एवं 2)

उपरोक्त के सम्बन्ध में सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने उत्तर में कहा है कि सम्बन्धित अभिलेखों की नियमानुसार जांच कर कटौती की कार्यवाही कर ली जायेगी।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इकाई द्वारा विगत तीन वर्षो से भुगतान किये गये बिलों से आयकर कटौती न किया जाना। आयकर अधिनियम का स्पष्ट उल्लंघन था।

अतः बिलों से रू आयकर की कटौती न किये जाने का प्रकरण विभाग के संज्ञान में लाया जाता है।

संलग्नक-1

निम्न फर्मो के बिलों से आयकर की कटौती न किये जाने का विवरण

क्र0 सं0	फर्म का नाम	बिल एवं दिनांक	धनराशि	2 प्रतिशत आयकर की कटौती न
1	मैमर्स पंजाब सेल्स देहरादून	642 18.03.15	44682	894
2	मैमर्स निर्मलस निर्मल धारा फर्नीचर देहरादून	331 20.03.15	57632	1153
3	मैमर्स अतुल इलेक्ट्रानिकल्स देहरादून	315 से 324 16.03.15	70290	1406
4	मैमर्स अतुल इलेक्ट्रानिकल्स देहरादून	307 से 310 03.03.15	15717	314
5	मैमर्स अतुल इलेक्ट्रानिकल्स देहरादून	226 03.03.15	83588	1672
6	मैमर्स शिवम इण्टरप्राइजेज देहरादून	240 से 244 03.03.15	29842	597
7	मैमर्स शिवम इण्टरप्राइजेज देहरादून	348 से 353 21.3.16	82432	1649
8	मैमर्स शिवम इण्टरप्राइजेज देहरादून	297 से 301 09.2.16	20492	410
9	मैमर्स शिवम इण्टरप्राइजेज देहरादून	372 से 377 21.07.16	68862	1378
10	मैमर्स शिवम इण्टरप्राइजेज देहरादून	380 से 381 22.03.16	43760	875
11	मैमर्स शिवम इण्टरप्राइजेज देहरादून	243 से 244 18.11.15	19252	385
12	मैमर्स शिवम इण्टरप्राइजेज देहरादून	196 से 204 03.10.15	84792	1696
13	मैमर्स शिवम इण्टरप्राइजेज देहरादून	03.09.15	27911	558
14	मैमर्स शिवम इण्टरप्राइजेज देहरादून	5.08.15	16715	334
15	मैमर्स शिवम इण्टरप्राइजेज देहरादून	10.06.15	23219	464
16	मैमर्स शिवम इण्टरप्राइजेज देहरादून	1 से 15 18.0515	65524	1310
17	मैमर्स अतुल इलेक्ट्रानिकल्स देहरादून	289 से 296 09.02.16	57037	1140
18	मैमर्स अतुल इलेक्ट्रानिकल्स देहरादून	382 22.03.16	34203	684
19	मैमर्स अतुल इलेक्ट्रानिकल्स देहरादून	183 से 188 09.09.15	49947+26845	1536

20	मैमर्स अतुल इलेक्ट्रानिकल्स देहरादून	5.08.15	18335 23219	831
21	मैमर्स अतुल इलेक्ट्रानिकल्स देहरादून	55 से 59 18.05.15	19249	384
22	मैमर्स अतुल इलेक्ट्रानिकल्स देहरादून	18.03.17	101279	2026
23	मैमर्स अतुल इलेक्ट्रानिकल्स देहरादून	187 से 209 14.02.17	29095	581
24		22.08.17	53930	1079
25	मैमर्स शिवम इण्टरप्राइजेज देहरादून	220 से 228 18.03.17	149221	2984
26	मैमर्स शिवम इण्टरप्राइजेज देहरादून	14.02.17	23906	478
27	मैमर्स शिवम इण्टरप्राइजेज देहरादून	22.08.16	190868	3817
28	मैमर्स शिवम इण्टरप्राइजेज देहरादून	24 से27 20.03.18	77000	1540
29	एटलस फायर सर्विस	10.06.15	62652	1253
30	हाई टेक इलेक्ट्रिक	14.02.17	39765	795
31	एम ई जी	96 से 151 22.08.16	57623	1152
32	एटलस फायर सर्विस	22.08.16	62680	1254
33	मैमर्स इलीगेन्स	16 07.02.18	215501	4310
34	मैमर्स इलीगेन्स	15 20.01.18	215501	4310
35	मैमर्स इलीगेन्स	7 ये 09 25.09.18	305882	6118
36	मैमर्स इलीगेन्स	5 से 6 25.09.18	162960	3959
			योगः	55326

संलग्नक-2

निम्न बिलों से आयकर की कटौती न किया जाने का विवरण

क्र0सं0	फर्म का नाम	बिल एवं दिनांक	धनराशि	2 प्रतिशत आयकर की कटौती न
1	मैमर्स सिंघल ब्रादर्स	04.11.15	19268	570
2	मैमर्स सिंघल ब्रादर्स	15.12.15	25000	500
3	मैमर्स सिंघल ब्रादर्स	220 12.09.15	80640	1613
4	मैमर्स सिंघल ब्रादर्स	143 18.08.15	49999	1000
5	मैमर्स सिंघल ब्रादर्स	183	60112	1202
6	मैमर्स सिंघल ब्रादर्स	78 से 183 04.04.15	100011	2000
7	मैमर्स अर्पित	135 16.03.15	22354 30188	1050
8	मैमर्स भारतीय उद्योग	191 11.7.16	87766	1755
9	मैमर्स भारतीय उद्योग	410 16.03.17	169795	3396
10	मैमर्स भारतीय उद्योग	131 31.03.17	85066	1701
11	मैमर्स साई रेडिश	64 27.03.18	47200	944
12	मैमर्स आफिस सल्यूशन	564 27.03.18	60531	1210
13	मैमर्स खालसा बुक	308 07.02.18	466504	9330
योगः				26271

भाग दो ब

<u>प्रस्तरः02-</u> अनियमित व्यय किया जाना रू 9.11 लाख।

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 एवं संशोधित नियमावली 2015 के प्रस्तर 10.1 के अनुसार एक लाख एवं तीन लाख से अधिक की सामग्री क्रय हेतु निविदा प्रक्रिया अपनाकर प्रतिस्पर्घात्मक दरों का लाभ प्राप्त किया जाना चाहिए। कार्यालय के क्रय पत्रावली की जांच में पाया गया है कि मार्च 2015 से मार्च 2018 तक रू 9.11 लाख की विभिन्न सामग्रियों का क्रय बिना निविदा प्रक्रिया अपनाये ही मात्र कोटेशन के आधार पर किया गया था। (संलग्नक-3) जो कि क्रय नियमवाली के विरूद्ध था।

उपरोक्त के सम्बन्ध में सम्प्रेंक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने निविदा प्रक्रिया का अनुपालन नही किए जाने का कोई स्पष्ट उत्तर नही दिया है। **अतः रू 9.11 लाख का अनियिमत क्रय किये जाने का प्रकरण विभाग के संज्ञान में लाया जाता है।**

संलग्नक-3

निम्न फर्मों से बिना निविदा प्रक्रिया अपनाये ही क्रय किया गया का विवरणः-

क्र0सं0	फर्म का नाम	बिल एवं दिनांक	धनराशि
3	मैमर्स अतुल इलेक्ट्रानिकल्स देहरादून	315 से 324 16.03.15	70290
4	मैमर्स अतुल इलेक्ट्रानिकल्स देहरादून	307 से 310 03.03.15	15717
5	मैमर्स अतुल इलेक्ट्रानिकल्स देहरादून	226 03.03.15	83588
6	मैमर्स शिवम इण्टरप्राइजेज देहरादून	240 से 244 03.03.15	29842
7	मैमर्स शिवम इण्टरप्राइजेज देहरादून	348 से 353 21.3.16	82432
8	मैमर्स शिवम इण्टरप्राइजेज देहरादून	297 से 301 09.2.16	20492
9	मैमर्स शिवम इण्टरप्राइजेज देहरादून	372 से 377 21.07.16	68862
10	मैमर्स शिवम इण्टरप्राइजेज देहरादून	380 से 381 22.03.16	43760
11	मैमर्स शिवम इण्टरप्राइजेज देहरादून	243 से 244 18.11.15	19252
12	मैमर्स शिवम इण्टरप्राइजेज देहरादून	196 से 204 03.10.15	84792
13	मैमर्स शिवम इण्टरप्राइजेज देहरादून	03.09.15	27911
14	मैमर्स शिवम इण्टरप्राइजेज देहरादून	5.08.15	16715
15	मैमर्स शिवम इण्टरप्राइजेज देहरादून	10.06.15	23219
16	मैमर्स शिवम इण्टरप्राइजेज देहरादून	1 से 15 18.0515	65524
17	मैमर्स अतुल इलेक्ट्रानिकल्स देहरादून	289 से 296 09.02.16	57037
18	मैमर्स अतुल इलेक्ट्रानिकल्स देहरादून	382 22.03.16	34203
19	मैमर्स अतुल इलेक्ट्रानिकल्स देहरादून	183 से 188 09.09.15	49947+ 26845
20	मैमर्स अतुल इलेक्ट्रानिकल्स देहरादून	5.08.15	18335 23219
21	मैमर्स अतुल इलेक्ट्रानिकल्स देहरादून	55 से 59 18.05.15	19249
22	मैमर्स अतुल इलेक्ट्रानिकल्स देहरादून	18.03.17	101279
23	मैमर्स अतुल इलेक्ट्रानिकल्स देहरादून	187 से 209 14.02.17	29095
24		22.08.17	53930
25	मैमर्स शिवम इण्टरप्राइजेज देहरादून	220 से 228 18.03.17	149221
26	मैमर्स शिवम इण्टरप्राइजेज देहरादून	14.02.17	23906
27	मैमर्स शिवम इण्टरप्राइजेज देहरादून	22.08.16	190868

<u>भाग दो ब</u>

<u>प्रस्तरः3-</u> राजककीय सेवकों को आवंटित राजकीय वाहन की निर्धारित दर की कुल धनराशि रू 1,02,400/- की कम कटौती करना।

वित्त संसाधन (विविध) अनुभाग के शासनादेश संख्याः710/दस-स0वि0नित-2-97 दिनांकः 19 मई, 1999 के अनुसार यदि किसी अधिकारी को राजकीय वाहन आवंटित है, वह उसका निजी उपयोग करें या न करें, उसके वेतन से प्रति माह (पेट्रोल कार के लिए रू 500 व जीप के विए रू 400) की कटौती की जानी चाहिए तथा शासनादेश संख्याः84/xxvii(7)50(6)/2017, दिनांकः 07 जून,2017 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोंपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि उक्त के अन्तर्गत राजकोष में जमा किये जाने वाली उक्त धनराशि में वृद्धि करते हुए दिनांक 01 मई, 2017 से प्रत्येक वाहन हेतु रू 2000 प्रतिमाह की राशि निश्चित कर दी गयी थी।

कार्यालय जिला न्यायधीश, देहरादून के बिल पंजिका एवं जी0वी0आर0 से सम्बंधित अभिलेखों की जांच में पाया गया कि अद्धोलिखित अधिकारियों से आवंटित शासकीय वाहन की उक्त शासनादेश में उल्लिखित दर से मासिक कटौती न करने के परिणामस्वरूप कुल रू 1,02,400 की धनराशि वसूली/कटौती हेतु लेखापरीक्षा तिथि तक लम्बित थी। जिसका विवरण निम्नवत हैः-

अधिकारी का नाम	**अवधि**		**माह*लम्बित धनराशि**	**कुल धनराशि**
	कब से	**कब तक**		
श्री गुरूबखश सिंह/अपर जिला जज	05/2017	11/2017	7*2000	14,000
श्री महेन्द्र मोहन पान्डे/मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी	03/2018	07/2018	5*2000	10,000
श्रीमति चन्द्रेश्वरी/न्यायिक दंडाधिकारी	05/2017	11/2018	20*2000	40,000
श्रीमति मंजु सिहं मुंडे/अपर सिविल जज	05/2017 12/2017	11/2017 11/2018	9*1600 12*2000	14,400 24,000
योग				1,02,400

उपरोक्त के सम्बंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए अपने प्रत्युत्तर में बताया कि कटौती/वसूली कर दी जायेगी।

अत प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

<u>प्रस्तरः1-</u> लेन-देनों के लेखे की रोकड़बही न बनाया जाना।

वित्तीय नियमानुसार विभाग का मुख्य अभिलेख होता है जिसमें विभाग के सभी लेन देनों (नगद/तैक/ड्राफ्ट/ई-पेमेंट) का लेखा रोकड़बही में इन्द्राज करना चाहिए।

कार्यालय, जिला न्यायाधाश, देहरादून के लेखा अभिलेखों की जांच में देखा गया कि विभाग द्वारा लेखा परीक्षा अवधि 03/2015 से 11/2018 तक के दौरान ट्रेजरी से किए गए कुल रू 102.32 करोड़ के लेन-देनां (स्थापना+गैरस्थापना) की कोई रोकड़बही नहीं बनाई गयी है विभाग द्वारा एक उप रोकड़बही का रख रखाव किया गया है जिसमें केवल पेटी कैश से संबन्धित लेन देन दर्ज किये जा रहे है जो वित्तीय नियमों के विरूद्ध है। उक्त के सन्दर्भ में विगत लेखा परीक्षा में भी आपत्ति की गयी थी।

सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि भविष्य में अनुपालन किया जायेगा।

अत रू 102.32 करोड़ के लेन-देनों के लेखे की रोकड़बही न बनायें जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

(अ) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या	भाग दो -"अ"प्रस्तर संख्या	भाग दो -"ब" प्रस्तर संख्या	पू0 न0 ले0 टिप्पणी प्रस्तर सं0
17/2003-04	शून्य	1	शून्य
45/2014-15	शून्य	1	1,2

(ब) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेषण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
17/2003-04	अप्रस्तुत	अप्रस्तुत	अप्रस्तुत के कारण कोई संस्तुति नही की गई है	
45/2014-15	अप्रस्तुत	अप्रस्तुत	अप्रस्तुत के कारण कोई संस्तुति नही की गई है	

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

--------- --- ----------- शून्य -----------------------------

भाग-V

आभार

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय न्यायाधीश, देहरादून** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता हूँ। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित **अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः शून्य**

सतत् अनियमितताएः शून्य

लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया है।

क्रं.सं	नाम	पद नाम	कार्यकाल अवधि
1	श्री राम सिंह	जिला न्यायाधीश	दिनांक 11.09.2013 से 15.04.2015
2	श्री राम दत्त पालीवाल	जिला न्यायाधीश	दिनांक 16.04.2015 से 05.05.2016
3	श्री नारायण सिंह धानिक	जिला न्यायाधीश	दिनाक 07.05.2016 से 30.11.2018

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय जिला न्यायाधीश, देहरादून** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे **उप महालेखाकार / (सामान्य क्षेत्र) कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) "महालेखाकार भवन" दिवतीय तल एल-218 कौलागढ, उत्तराखण्ड, देहरादून** को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

सामान्य क्षेत्र